स्नातकों के लिए योग विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र (2023–24)

के लिए महत्त्वपूर्ण तिथियां

विवरण	दिनांक
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की उपलब्धता	12 जुलाई, 2023
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	04 अगस्त, 2023 (शाम 4:30 बजे तक)
प्रवेश परीक्षा की तिथि	13 अगस्त, 2023
प्रथम परामर्श के लिए मेरिट सूची की घोषणा	22 अगस्त, 2023
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में प्रवेश के लिए प्रथम परामर्श सत्र की तिथि	23 और 24 अगस्त, 2023
द्वितीय परामर्श के लिए मेरिट सूची की घोषणा	25 अगस्त, 2023
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में प्रवेश के लिए द्वितीय परामर्श सत्र की तिथि	28 अगस्त, 2023
शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ	1 सितंबर, 2023

विशेष सूचना

1. चयन सूची केवल मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सूचनापट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा संस्थान की वेबसाइट www.yoga.nic.in पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी।
2. आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3. संस्थान के कार्यालय का समय सभी कार्यदिवसों में (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक है।
4. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा गया हो तो कृपया आवेदन और सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए उचित पावती प्राप्त करें।

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय/परिशिष्ट	पृष्ठ सं.
1.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान परिचय	1
2.	प्रवेश विवरणिका के विषय में	16
3.	कार्यक्रम विवरणः योग विज्ञान में डिप्लोमा	17
4.	आवेदन पत्र जमा करने का प्रारुप	19
5.	परामर्श / प्रवेश	22
6.	प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज	24
7.	शुल्क संरचना	25
8.	सीटों का आरक्षण	26
9.	छात्रवृति	28
10.	विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया	29
11.	परीक्षा नियम	30
12.	नियम और विनियम	32
13.	प्रपत्र भरने के निर्देश	35
14.	परिशिष्ट 1 : चिकित्सा प्रमाणपत्र	36

1 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान

संस्थान

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (मो.दे.रा.यो.सं), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है तथा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन कार्यरत है। मो.दे.रा.यो.सं. 01.04.1998 को पूर्ववर्ती केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान (CRIY) का उन्नयन करके अस्तित्व में आया, जिसे वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (मो.दे.रा.यो.सं.) की स्थापना योग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। जिस प्रकार योग प्रणाली की मांग वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है, उसी प्रकार संस्थान विश्वभर से लोगों की मौजूदा आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा है।

उद्देश्य

संस्थान का उद्देश्य सभी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्राचीन योग परंपराओं पर आधारित योग दर्शन और प्रथाओं की गहन समझ को बढ़ावा देना है।

लक्ष्य

संस्थान के उद्देश्य –

1. योग में प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में कार्य करना;
2. योग के क्षेत्र में दर्शन, विज्ञान एवं कला को विकसित करना तथा प्रचार एवं प्रसार करना; तथा उपरोक्त दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा इन्हें प्रोत्साहन देना।

दृष्टि

योग के माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य, खुशहाली और समरसता प्रदान करना।

ध्येय

आधुनिक युग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योग के आकांक्षी, शोधकर्ताओं और अभ्यासकर्ताओं को सर्वोत्तम योग शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना।

अवस्थिति स्थान

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, बंगला साहिब गुरुद्वारा के सामने, गोल डाक खाना के समीप स्थित है। यह संस्थान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर तथा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आई.एस.बी.टी.) से 8 किलोमीटर दूर है ।

दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा के सभी कोनों से दिल्ली परिवहन निगम की बसों के स्थानीय परिवहन द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है तथा मेट्रो ट्रेन यात्रियों के लिए पटेल चौक संस्थान के लिए निकटतम स्टेशन है।

प्रबंधन

संस्थान पूर्ण रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। संस्थान के प्राधिकारी और अधिकारी– अध्यक्ष, सामान्य निकाय, शासी परिषद, निदेशक और ऐसी अन्य समितियां, उप–समितियां, प्राधिकरण और अधिकारी जो शासी परिषद द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, जैसे स्थायी वित्त समिति, वैज्ञानिक सलाहकार समिति, अकादमिक समिति आदि।

श्री सर्बानंद सोणोवाल
माननीय केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, भारत सरकार
अध्यक्ष, सामान्य निकाय

श्री सर्बानंद सोणोवाल माननीय केंद्रीय मंत्री, आयुष मंत्रालय और पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं। सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार शासी परिषद् के अध्यक्ष हैं। संस्थान के निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और "विभाग प्रमुख" हैं जो संस्थान "विभाग प्रमुख" की शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा अन्य बातों के साथ–साथ एमओए और उपनियमों में उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं।

डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई कालूभाई
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, आयुष तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वैद्य राजेश कोटेचा
सचिव आयुष,
भारत सरकार
अध्यक्ष, शासी परिषद्

सुश्री कविता गर्ग
संयुक्त सचिव आयुष, भारत सरकार
अध्यक्ष
वैज्ञानिक सलाहकार समिति तथा स्थायी वित्त समिति

निदेशक

श्री विक्रम सिंह केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, 2001 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा प्रबंधन अध्ययन संकाय (एफएमएस), दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर(एमबीए) उपाधि प्राप्त की। उन्होंने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विभागों में कार्य किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्य करते हुए उन्होंने विद्युत वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर नव्यकरणीय उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (चार्जिंग स्टेशनों) के एकीकरण के लिए संयोजकता विनियमन में संशोधन के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्तमान में वह निदेशक के रूप में आयुष मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुभाग, आईएमपीसीएल, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजनाओं आदि के कार्यों की देख–रेख कर रहे हैं। वह रक्तदान के प्रबल समर्थक हैं तथा उन्होंने दर्जनों बार स्वयं रक्तदान किया है। वह प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उनकी विशेष रुचियों में दौड़ना, बाइक चलाना, ट्रैकिंग, लेखन तथा ध्यान शामिल हैं। उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन पर एक उपन्यास भी लिखा है। (चेतना स्रोतः भगत सिंह)।

30.6.2023 को निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की सेवानिवृत्ति के बाद, इन्हें संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

मूलभूत सुविधाएँ

संस्थान के पास अत्याधुनिक इमारत और वातानुकूलित सम्मेलन कक्ष, सभागार, ध्यान कक्ष, योग व्यावहारिक कक्ष, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और कक्षाओं के साथ एक नवीन अत्याधुनिक परिसर है। 50 निश्चित संख्या के बैठने के लिए सम्मेलन कक्ष, एक एलसीडी प्रोजेक्टर तथा अन्य नवीनतम ऑडियो–विजुअल से सुसज्जित प्रस्तुतीकरण, बैठकें आयोजित करने, छोटा–सम्मेलन और संगोष्ठी आदि के लिए तकनीकी सुविधाएं आदि उपलब्ध है। सभागार में बड़ी संगोष्ठी, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जो 168 सीटों की क्षमता के साथ नवीनतम ऑडियो–विजुअल और प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित है। इसके खूबसूरत गोलाकार गुंबद से निकलने वाला प्राकृतिक प्रकाश, ध्वनि रहित ध्यान कक्ष के वातावरण को उचित रूप से स्थिर करती है।

संस्थान में लगभग 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला वर्तुल (अंडाकार) खुला मंच (एम्फीथिएटर) है। इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय योग उत्सवों, योग प्रदर्शनों और अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। अकादमिक खंड में नवीनतम डिजिटल ध्वनिकी के साथ सौंदर्यपूर्ण, व्यवस्थित रूप से निर्मित, अति–आधुनिक, सुसज्जित तथा पूर्णतः प्रकाशित कक्षाएं हैं जहां विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

कार्य अवधि

संस्थान सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्यरत है। हालाँकि, योग शिक्षा, चिकित्सा और प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी कार्य दिवसों पर सुबह 6:00 से रात 8:00 बजे के बीच चलते हैं। शनिवार को भी सप्ताह के अंत में निर्धारित समय में योग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

भोजनालय

संस्थान परिसर में भोजनालय की सुविधा उपलब्ध है जिसमें प्राकृतिक स्वस्थ खाद्य पदार्थ–फल एंव जूस इत्यादि सामान्य मूल्य पर उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय

संस्थान के पास केंद्रीय रूप से वातानुकूलित पुस्तकालय है, जिसमें योग और संबद्ध विषयों पर 16,000 से अधिक खंड हैं, जो सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। यह आयुष पुस्तकालय को भी समायोजित कर रहा है, जहां विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित साहित्य उपलब्ध हैं।

शिक्षण संसाधन केंद्र

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने योग के लिए एक शिक्षण संसाधन केंद्र (LRC) की स्थापना की। शिक्षण संसाधन केंद्र साहित्य प्रधान संसाधन है जो अकादमिक और शोध उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। यह मुद्रित तथा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संकर संग्रह है।

कंप्यूटर प्रयोगशाला

संस्थान में एक कंप्यूटर प्रयोगशाला है जिसमें छात्रों के लिए मुफ्त में इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला में ज़ेरॉक्स की सुविधा भी बहुत सामान्य मूल्य पर उपलब्ध है।

जैव–रसायन प्रयोगशाला

संस्थान की प्रयोगशाला तकनीकी रूप से योग्य विशेषज्ञों से सुसज्जित है, जिनके पास रोग विज्ञान संबंधी तथा जीव–रसायनशास्त्र संबंधी परीक्षणों की सुविधा है।

शिक्षण विभाग

संस्थान निम्नलिखित शिक्षण विभागों के अंतर्गत कार्यरत है:

1.	योग शिक्षा विभाग
2.	योग चिकित्सा विभाग
3.	योग दर्शन विभाग
4.	योग तथा मानव चेतना विभाग
5.	मानव शरीर रचना विज्ञान विभाग
6.	मानव शरीर क्रिया विज्ञान विभाग
7.	संबद्ध विज्ञान विभाग
8.	भाषा विभाग

इन शिक्षण विभागों द्वारा भी समर्थित हैं:

1.	योग अनुसंधान विभाग
2.	संचार एंव प्रलेखन विभाग
3.	प्रशासन विभाग

योग शैक्षिक कार्यक्रम

एम.एससी (योग)

- यह पाठ्यक्रम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), द्वारका, नई दिल्ली से संबंधित है।
- योग की महान वृत्ति के माध्यम से बड़े पैमाने पर मानव की सेवा करने के लिए तथा छात्र को एक वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है।
- योग अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता के लिए जनशक्ति उत्पन्न करना।
- अस्पतालों में योग प्रशिक्षण और चिकित्सा देने के लिए चिकित्सकों/ परामर्शदाताओं की सहायता करना।
- सभी स्तरों पर योग प्रशिक्षण और योग चिकित्सा प्रदान करने के लिए जनशक्ति तैयार करना।
- जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए छात्रों को योग चिकित्सा सिखाना।
- योग के माध्यम से छात्र में सकारात्मक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य, व्यक्तित्व के विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए योग के बारे में सामान्य रुचि और जिज्ञासु ज्ञान को समृद्ध एवं विकसित करना।

पात्रता:

- बी.एससी (योग) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ योग विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ विज्ञान / चिकित्सा / पराचिकित्सा/ भौतिक चिकित्सा में स्नातक।

- एक अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस संबंध में संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से जारी एक चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी पुरानी बीमारी से पीड़ित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश न लें।
- **प्रवेश क्षमता:** 30
- **अवधि:** कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) होगी

बी.एससी (योग)

- यह कोर्स गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), द्वारका, नई दिल्ली से संबंधित है।
- पाठ्यक्रम को योग ज्ञान, कौशल तथा तकनीकों को प्रदान करने के लिए निरूपित किया गया है ताकि वे संस्थागत रूप से योग्य योग वृत्ति अपना सकें। यह 3 वर्ष की अवधि का एक पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम है, जिसमें 6 सेमेस्टर शामिल हैं।
- **योग्यता:** भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में न्यूनतम 50% अंकों के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.सी) के 10 + 2 पैटर्न अथवा विज्ञान के साथ समकक्ष) के 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, बशर्ते कि अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में अलग से उत्तीर्ण हो।
- **प्रवेश क्षमता:** 30
- **अवधि:** कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष (06 सेमेस्टर)

चिकित्सक और परा–चिकित्सक के लिए योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीवाईटी)

- यह कोर्स गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), द्वारका, नई दिल्ली से संबंधित है।
- पाठ्यक्रम चिकित्सा वृत्ति को जीवन शैली की बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए अपनी चिकित्सा पद्धति में योग चिकित्सा को एकीकृत करने के लिए सिखाने के लिए निरूपित किया गया है।
- जीवन शैली से संबंधित सामान्य बीमारियों के लिए योग चिकित्सा मॉड्यूल सीखने और प्रशासित करने के लिए चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के परा–चिकित्सक और चिकित्सक स्नातकों को उन्मुख करना।
- चिकित्सा वृत्ति के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के समग्र सिद्धांतों को प्रस्तुत करना।
- योगिक प्रथाओं के मनोवैज्ञानिक–शारीरिक तंत्र पर चिकित्सा वृत्ति को उन्मुख करना।
- पाठ्यक्रम योग के माध्यम से छात्र में सकारात्मक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरुपित किया गया है।

योग्यता:

- भौतिक चिकित्सा (न्यूनतम 4 वर्ष अथवा उससे अधिक) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक ।
- एक अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस संबंध में संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से जारी एक चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी पुरानी बीमारी से पीड़ित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस कोर्स में प्रवेश न लें। चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप इसके साथ संलग्न है।
- **सेवन क्षमता:** 20
- **अवधि:** पाठ्यक्रम 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) की अवधि का होगा।

स्नातकों के लिए योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम

- स्नातकों के लिए योग विज्ञान में डिप्लोमा एक पूर्णकालिक, नियमित, गैर–आवासीय पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को योग के ज्ञान और कौशल को प्रदान करने के लिए रूपित किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को संस्थागत रूप से योग्य योग प्रशिक्षकों में सक्षम बनाया जा सके।
- **योग्यता:** न्यूनतम 50% अंकों के साथ भारत अथवा विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि (योग्यता परीक्षा) रखने वाला अभ्यर्थी योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है। हालांकि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यह पात्रता 45% होगी।
- **प्रवेश क्षमता:** 75 (आर्थिक कमजोर वर्ग सहित) + 22 सीटें विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। कुल सीटों के अतिरिक्त 15% सीटें विदेशी उम्मीदवारों के लिए होंगी। कुल सीटों के अतिरिक्त 05% सीटें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होंगी।
- **अवधि:** पाठ्यक्रम 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) की अवधि का होगा।

योग चिकित्सा सहायक के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCYTA)

- यह पाठ्यक्रम (सीसीआईटीए) योग चिकित्सा को समग्र जीवन के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करेगा। पाठ्यक्रम के दौरान, छात्र को विभिन्न मनोदैहिक और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के उपचार और रोकथाम के लिए योग चिकित्सा की अवधारणाओं के बारे में सिखाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में आम जनता और कुल व्यक्तित्व विकास के लिए पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को निष्पादित करने के लिए छात्रों को चिकित्सीय कौशल प्रदान करने की दृष्टि है।
- **योग्यता:**
- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से 10 + 2 (किसी भी स्ट्रीम) में पास।
- (ii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान / योग प्रमाणीकरण मंडल प्रमाणित स्तर–II (योग कल्याण प्रशिक्षक) से कल्याण प्रशिक्षण के लिए योग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीसीआईवाईडब्ल्यूआई)
- **प्रवेश क्षमता:** 30 (कुल सीटों के अतिरिक्त 10%, 5% और 5% सीटें क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और विदेशी उम्मीदवार के लिए होंगी)
- **अवधि:** एक छमाही

कल्याण प्रशिक्षण के लिए योग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCYWI)

- पाठ्यक्रम को योग के ज्ञान, कौशल और तकनीकों को प्रदान करने के लिए रुपित किया गया है ताकि प्रतिभागियों को संस्थागत रूप से योग्य कुशल योग वृत्ति बनने और कल्याण के लिए योग सिखाने में सक्षम बनया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम का उद्देश्य शास्त्रीय, वैज्ञानिक योग शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कल्याण योग प्रशिक्षकों का सृजन करना है। पाठ्यक्रम दैनिक जीवन में कल्याण सिद्धांतों के लिए योग, इसके आधार और अनुप्रयोगों के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए केंद्रित है।
- मुख्य उद्देश्य योग शिक्षा प्रदान करने और कल्याण के लिए योग प्रशिक्षण के लिए योग में श्रेष्ठ प्रशिक्षकों का सृजन करना है।
- **योग्यता:**

(i) उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष से 10 + 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान अथवा किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, योग

प्रमाणीकरण मंडल, आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त योग संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों के साथ योग में सक्रिय शिक्षण और प्रशिक्षण में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले योग वृत्ति से कल्याण के लिए योग विज्ञान (50 घंटे) में फाउंडेशन पाठ्यक्रम।

(iii) अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पुरानी बीमारियों वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।

- **प्रवेश क्षमता:** प्रति बैच 30 सीटें* कुल सीटों के अतिरिक्त 15% सीटें विदेशी उम्मीदवारों के लिए होंगी। कुल सीटों के अतिरिक्त 05% सीटें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होंगी।
- **अवधि:** पाठ्यक्रम की अवधि एक छमाही (24 क्रेडिट) अथवा अधिकतम 6 माह की होगी। पाठ्यक्रम आमतौर पर – i) अप्रैल और ii) अक्टूबर से आरंभ होगा ।

अभ्यासक्रम प्रशिक्षक के लिए योग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCYPI)

- पाठ्यक्रम को योग के ज्ञान, कौशल और तकनीकों को प्रदान करने के लिए रुपित किया गया है ताकि प्रतिभागियों को संस्थागत रूप से योग्य कुशल योग वृत्ति बनने और कल्याण के लिए सामान्य योग अभ्यासक्रम सिखाने में सक्षम बनाया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम का उद्देश्य शास्त्रीय, वैज्ञानिक योग शिक्षा, योग प्रशिक्षण प्रदान करना और योग को बढ़ावा देने के लिए अभ्यासक्रम योग प्रशिक्षकों का निर्माण करना है।
- **योग्यता:**

i) उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

ii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान अथवा किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त योग संस्थानों योग प्रमाणीकरण मंडल, आयुष मंत्रालय अथवा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों के साथ योग में सक्रिय शिक्षण और प्रशिक्षण में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले योग वृत्ति से कल्याण के लिए योग विज्ञान (50 घंटे) में फाउंडेशन पाठ्यक्रम।

iii) अभ्यार्थी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पुरानी बीमारियों वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।

- **प्रवेश क्षमता:** प्रति बैच 30 सीटें* प्रति बैच 30 सीटें और बैच की मांग और संस्थान की उपलब्धता के आधार पर सीट की संख्या एवं बैच अधिक बढ़ाए जा सकता है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण। कुल सीटों के अतिरिक्त 15% सीटें विदेशी उम्मीदवारों के लिए होंगी। कुल सीटों के अतिरिक्त 05% सीटें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होंगी।
- **अवधि:** कार्यक्रम की अवधि तीन माह होगी। पाठ्यक्रम आमतौर पर – i) जनवरी ii) अप्रैल iii) जुलाई और iv) अक्टूबर आरंभ होगा।

विशेष रुचि समूह के लिए योग विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने विशेष रुचि समूह के कामकाजी तनाव और कौशल विकास के सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य समूह (अर्ध–सैन्य कार्मिक) के लिए योग विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है। यह 4 माह की अवधि का है तथा निमंत्रण पर है।

- **प्रवेश क्षमताः** 100 (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल), 25 (दिल्ली पुलिस)

योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

कल्याण के लिए योग विज्ञान में फाउंडेशन पाठ्यक्रम (FCYScW)

- कल्याण के लिए योग विज्ञान में फाउंडेशन पाठ्यक्रम (एफसीवाईएससीडब्ल्यू) 1 माह की अवधि (50 घंटे) का एक अंशकालिक पाठ्यक्रम है। कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन, प्रत्येक दिन सुबह और शाम 2 घंटे की अवधि के लिए विभिन्न स्लॉट तक आयोजित की जाती हैं। हालांकि, संस्थान की सुविधा के अनुसार समय बदल सकता है।
- **योग्यताः** 10वी पास अथवा इसके समकक्ष।
- **प्रवेश क्षमताः** प्रति बैच 30 सीटें* मांग और स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक में 30 बैच हो सकते हैं।

आगामी पाठ्यक्रम

योग चिकित्सा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीवाईटी)

- इस कार्यक्रम के दौरान, छात्र को विभिन्न मनोदैहिक और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के उपचार और रोकथाम के लिए योग चिकित्सा की अवधारणाओं के बारे में सिखाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में आम जनता और कुल व्यक्तित्व विकास के लिए पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को निष्पादित करने के लिए छात्रों को चिकित्सीय कौशल प्रदान करने की दृष्टि है।
- **योग्यताः**

(!) 50% अंकों के साथ योग में स्नातक की उपाधि अथवा

(!!) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान / योग प्रमाणीकरण मंडल द्वारा प्रमाणित लेवल–II (योग कल्याण प्रशिक्षक) से कल्याण प्रशिक्षण के लिए योग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम(सीसीआईडब्ल्यूआई) में 50% अंकों के साथ कोई स्नातक उपाधि अथवा

(!!!) योग चिकित्सा सहायक के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम(सीसीआईटीए) में 50% अंकों के साथ कोई भी उपाधि पार्श्विक प्रवेश (द्वितीय छमाही) के माध्यम से शामिल हो सकती है।

- **प्रवेश क्षमताः** प्रति बैच 30 सीटें।
- **परिणामः** छात्र संस्थागत रूप से योग्य योग चिकित्सक बन जाएंगे।
- **अवधिः** एक वर्ष / दो छमाही

खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा–स्नातक के लिए योगासन (डीएससी) (एक वर्ष की अवधि तथा एक माह का प्रशिक्षण)

- **लक्ष्यः** पाठ्यक्रम का लक्ष्य सक्षम योगासन खेल प्रशिक्षक का सृजन करना है।
- **उद्देश्यः** पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. योगासन के अभ्यास के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देना।
2. तकनीकों, योगासन प्रतियोगिता के मुख्य बिंदुओं और इसके कार्य को प्रस्तुत करना।
3. खिलाड़ी के व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना।
4. योगासन को एक खेल के रूप में बढ़ावा देना।
5. खेल प्रवित्तियों के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के बीच अंतर को समझने के लिए।

योग्यता:

(i) 50% अंकों के साथ योग में स्नातक की उपाधि अथवा

(ii) योग प्रमाणीकरण मंडल प्रमाणित स्तर–II (योग कल्याण प्रशिक्षक) से कल्याण प्रशिक्षण के लिए योग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीसीआईडब्ल्यूआई) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ कोई भी स्नातक उपाधि अथवा

(iii) योग चिकित्सा सहायक के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीसीआईटीए) में 50% अंकों के साथ कोई भी उपाधि पार्श्विक प्रवेश (द्वितीय छमाही) के माध्यम से शामिल हो सकती है।

- **प्रवेश क्षमता:** प्रति बैच 30 सीटें।
- **परिणाम:** छात्र संस्थागत रूप से योग्य योगासन खेल प्रशिक्षक बन जाएंगे।
- **अवधि:** एक वर्ष / दो छमाही

स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम

- **स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम (एचपीपी):** संस्थान में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 6:00 से 7:00 बजे तक और प्रातः 07:00 से 08:00 बजे तक एक–एक घंटे का स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- **शनिवार योग प्रशिक्षण कार्यक्रम:** योग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार प्रातः 6.30 से 11.00 बजे तक आयोजित किया जाता है।

योग चिकित्सा कार्यक्रम

बाह्य रोगी विभाग

- संस्थान योग चिकित्सा ओपीडी के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अस्पताल (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त है।
- योग चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 08:00 से शाम 04:30 बजे तक कार्यरत है।
- मधुमेह क्लिनिक सभी कार्य दिवसों में प्रातः 08:00 से 10:00 बजे तक कार्यरत है।
- योग चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, आहार विशेषज्ञ, योग चिकित्सक शामिल हैं।
- जरूरतमंद लोग परामर्श के लिए एसएमओ के पास जाएंगे और उसके बाद उपयुक्त आहार विशेषज्ञ, योग चिकित्सक के लिए योग चिकित्सा कार्यक्रम में भाग लेंगे।
- बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) एक विकृति विज्ञान/ जैव रसायन प्रयोगशाला से जुड़ा हुआ है।
- सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 08:00 से शाम 04:00 बजे तक एक–एक घंटे का योग चिकित्सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- **व्यक्तिगत योग चिकित्सा कार्यक्रम:** अधिकतम एक घंटे की अवधि का व्यक्तिगत योग चिकित्सा सत्र सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से शाम 04:00 बजे तक आयोजित किया जाता है।

संस्थान के बाहर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम

- संस्थान सरकारी/ निजी संगठनों/ गैर–सरकारी संगठन (आरडब्ल्यूए) को उनके क्षेत्र में (केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में) योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के इच्छुक लोगों को योग प्रशिक्षक प्रदान करता है। योग प्रशिक्षक अंशकालिक आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इच्छुक संगठन आवश्यक विवरण के साथ अपने नजदीकी क्षेत्र में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।

आयुष / एलोपैथी अस्पतालों में योग चिकित्सा केंद्र

संस्थान मौजूदा स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली में योग को मुख्य धारा में लाने के मूल उद्देश्य के साथ दिल्ली में योग चिकित्सा केंद्र चला रहा है। ये केंद्र निम्नलिखित अस्पतालों में योग परामर्श प्रदान कर रहे हैं और उम्मीदवारों / रोगियों को योग प्रशिक्षण और चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं:

क्र.सं.	योग चिकित्सा केंद्र
1.	वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट,दिल्ली विश्वविद्यालय,नॉर्थ कैंपस,दिल्ली – 110007
2.	राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस, ढाका कॉलोनी, किंग्सवे कैंप,दिल्ली–110009
3.	राष्ट्रीय तपेदिक और श्वसन रोग संस्थान, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली –95
4.	मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, झिलमिल कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली –95

(समयः सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 09:00 से शाम 04:00 बजे तक)

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कल्याण केंद्रों में योग की निवारक स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कल्याण केंद्रों में योग की 20 निवारक स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली की स्थापना की है। इन इकाइयों में नियमित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, हालांकि केवल सीजीएचएस कार्ड धारक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

क्र.सं.	निवारक स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली
1.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, सी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली – 58
2.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, सादिक नगर, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली
3.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली
4.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, शालीमार बाग, नई दिल्ली
5.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, नंगलराय, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली
6.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, सदर बाजार, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली – 10
7.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, हरिनगर घंटा घर के पास, नई दिल्ली
8.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, एम.बी. सेक्टर–1, पुष्प विहार, नई दिल्ली
9.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, फ्लैट नंबर 647, 648, कृषि कुंज, इंद्रपुरी, नई दिल्ली
10.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, पालम कॉलोनी, मंगलापुरी, नई दिल्ली
11.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, नंबर 68, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
12.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, 23, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
13.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, तिलक नगर, दिल्ली
14.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, आर. के. पुरम, सेक्टर–6, नई दिल्ली
15.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, नेताजी नगर, सी.जी.एच.एस. भवन, आर के पूरम, सेक्टर–13, नई दिल्ली
16.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली
17.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, (संख्या 68), मुख्य विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
18.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली – 32
19.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, सेक्टर–IV, पुष्प विहार, नई दिल्ली
20.	सीजीएचएस कल्याण केंद्र, कालकाजी, नई दिल्ली

(समयः सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 07:30 से दोपहर 02:00 बजे तक)

अनुसंधान गतिविधियाँ

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग अनुसंधान का एक सुस्थापित विभाग है। विभाग एम्स, एलएचएमसी आदि जैसे संस्थानों/ अस्पतालों/ विश्वविद्यालयों के साथ विभिन्न बहु–विषयक सहयोग से कई शोध परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

दार्शनिक–साहित्यिक अनुसंधानः संस्थान योग से संबंधित दार्शनिक–साहित्यिक शोध कार्य भी संचालित कर रहा है।

सहयोगी अनुसंधानः संस्थान विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख चिकित्सा संस्थानों/ अस्पतालों के सहयोग से सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करने का प्रयोजन रखता है।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग केंद्र (WHOCC) के रूप में नामित किया गया हैः

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को 4 वर्षों (2013–14) के लिए पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है । संस्थान को "गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) के प्रबंधन के लिए साक्ष्य–आधारित योग अभ्यास को बढ़ावा देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास में योगदान करने के लिए" संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के साथ अगले चार वर्षों (2021–2025) के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में फिर से नामित किया गया है।

योग प्रचार गतिविधियाँ

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

आयोजन को सफल बनाने में संस्थान ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए सामान्य योग अभ्यासक्रम और योग डीवीडी संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञों और विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के अधिकारियों के परामर्श से तैयार किए गए थे।

योग महोत्सव

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूर्वावलोकन के लिए– योग महोत्सव का आयोजन किया। संस्थान 2016 से योग महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन कर रहा है। योग महोत्सव गणमान्य महानुभावों, प्रख्यात योग गुरुओं, योग प्रशिक्षकों, योग वृतियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान विद्वानों, नीति निर्माताओं और योग बन्धुत्व से संबंधित अन्य सदस्यों की सुखद उपस्थिति का साक्षी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन mYoga ऐप

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने **WHO CC** के रूप में "सामान्य कल्याण के लिए योग अभ्यासक्रम" पर एक मोबाइल प्लेटफॉर्म (mYoga) ऐप तैयार किया है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए योग सीखने के मॉड्यूल और अभ्यास सत्र प्रदान करता है। mYoga ऐप की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस –2021 यानी 21 जून, 2021 को की गई थी।

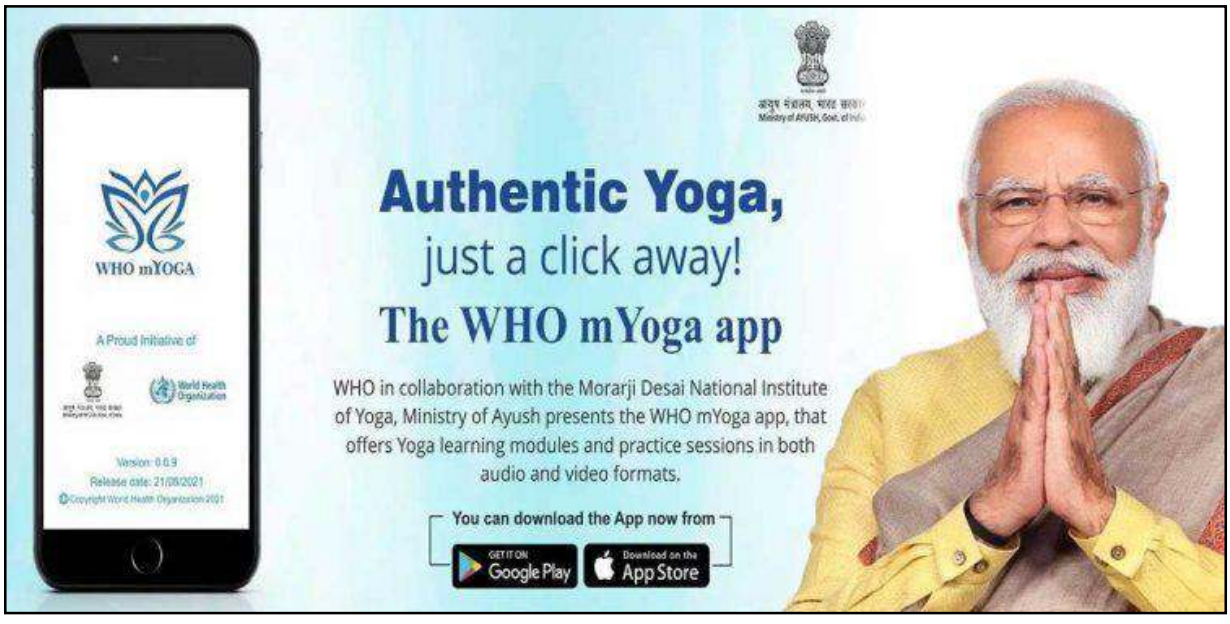

वाई–ब्रेक ऐप

योग ब्रेक–I योग अभ्यासक्रम में कार्यस्थल पर व्यक्तियों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तनाव मुक्त करने, तरोताजा करने तथा कार्य पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी योग अभ्यास शामिल हैं। कार्यस्थल पर योग ब्रेक अभ्यासक्रम संस्थान द्वारा विकसित किया गया था और इसके निष्कर्षों से एक मोनोग्राफ तैयार किया गया है। योग ब्रेक ऐप श्री सर्बानंद सोणोवाल, माननीय केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर को प्लेनरी कक्ष, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था।

Y–ब्रेक लिंकः https://www.facebook.com/मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान/videos@604185520357531

राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ (NYSF)

संस्थान ने योगासन को युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

संस्थान समय–समय पर योग शिक्षकों/ चिकित्सकों/ प्रशिक्षकों के लिए सीएमई आयोजित करता है। इस दौरान योग शिक्षकों/ प्रशिक्षकों/ चिकित्सकों के लिए प्रख्यात योग वृतियों अथवा संबद्ध विषयों के अनुभवी व्यक्तियों के व्याख्यानों की व्यवस्था की जाती है।

शुक्रवार वेबिनार

संस्थान प्रत्येक शुक्रवार को संस्थान के छात्रों और चिकित्सकों के साथ–साथ सोशल मीडिया मित्रों को उन्मुख करने के लिए अपने क्षेत्र में मील के पत्थर प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठित वृतियों / महानुभावों को आमंत्रित करके वेबिनार आयोजित करता है।

सम्मेलन और कार्यशालाएं

संस्थान प्रतिष्ठित योगियों, योग चिकित्सकों और शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों के साथ–साथ योग के इच्छुक लोगों के अनुभवों का प्रसार एंव आदान–प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित योग/ चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से नियमित रूप से सम्मेलनों/ कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

पंचम स्वर

संस्थान हर सम महीने के पहले शुक्रवार को 'पंचम स्वर' नामक द्विमासिक सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। यह छात्रों और कर्मचारियों को सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें स्वस्थ अंतर–व्यक्तिगत संबंध बनाने में सहायता करता है।

खेल गतिविधि

संस्थान समय–समय पर इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों का आयोजन करता है। यह उनके समग्र विकास के लिए है और स्वस्थ अंतर–व्यक्तिगत संबंध बनाने में उनकी सहायता करता है।

प्रकाशन और प्रचार

संस्थान सामान्य जनता के लाभ के लिए योग और यौगिक प्रथाओं के साथ–साथ विभिन्न रोगों पर बुनियादी पहलुओं पर पुस्तिकाएं, पत्रक, सूचनात्मक विवरणिका आदि प्रकाशित करता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग उत्सव, स्वास्थ्य प्रदर्शनियों, स्वास्थ्य मेलों, त्योहारों, संगोष्ठी, सम्मेलनों आदि जैसे राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के अतिरिक्त, संस्थान त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है, जिसमें संक्षेप में संस्थान की गतिविधियों और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। संस्थान ने सामान्यजनता के लाभ के लिए कुछ किताबें, पुस्तिकाएं, आईईसी सामग्री, योग चार्ट, सीडी, कैलेंडर आदि भी निकाले हैं।

2 प्रवेश विवरणिका संबंधित

1. प्रवेश विवरणिका

इस विवरणिका के माध्यम से, संस्थान शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए एक वर्ष की अवधि के स्नातकों के लिए योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम (D.Y.Sc.) में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

2. प्रवेश विवरणिका मूल्य

आवेदन पत्र के साथ प्रवेश विवरणिका की कीमत रु.1000/– (एक हजार रुपये मात्र) है। प्रवेश विवरणिका और आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाइट www.yogamdniy.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। "मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डीडी के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन, नई दिल्ली में देय या ऑनलाइन के माध्यम से किए गए भुगतान रु.1000/– (एक हजार रुपये मात्र) की रसीद आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक जमा की जाएगी। प्रवेश विवरणिका की लागत अप्रतिदेय है।

3 कार्यक्रम का विवरण: स्नातकों के लिए योग विज्ञान में डिप्लोमा

1. पाठ्यक्रम का शीर्षक

स्नातकों के लिए "योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम " कहा जाएगा।

2. पाठ्यक्रम की अवधि

पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी जिसमें अगस्त से जनवरी और फरवरी से जुलाई तक दो सेमेस्टर शामिल होंगे।

3. स्नातकों के लिए योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आवश्यकता

योग ने आधुनिक समय में समाज के सभी वर्गों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लोगों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में न केवल स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए बल्कि रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए भी योग अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है तथा योग के सिद्ध लाभों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि शास्त्रीय ज्ञान का पालन करते हुए योग शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि योग में प्रशिक्षित लोग अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

कई यौगिक सिद्धांतों और तकनीकों को अब स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली में लागू किया जा रहा है। यह पाया गया है कि योग के क्षेत्र में पर्याप्त योग्य और सुप्रशिक्षित योग शिक्षकों/ वृतियों और शोधकर्ताओं की कमी है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान लोगों की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए देश में योग के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुप्रशिक्षित योग शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। इसलिए, संस्थान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्नातकों के लिए योग विज्ञान में डिप्लोमा प्रस्तावित करता है:

क) सुप्रशिक्षित योग प्रशिक्षक तैयार करना।

ख) माध्यमिक विद्यालयों, पूर्व विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि में योग सिखाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित संस्थागत रूप से योग्य योग प्रशिक्षकों/ वृतियों को तैयार करना।

ग) अभ्यार्थियों को योग और योगाभ्यास का ज्ञान प्रदान करना।

घ) सभी स्तरों पर शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना।

च) सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना।

छ) स्नातकों को योग को वृत्ति के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना।

4. पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम योग और संबद्ध विषयों में सिद्धांत विषयों, योग में व्यावहारिक और क्षेत्र प्रशिक्षण वाले पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रुपित किया गया है।

पाठ्यक्रम में आयुष मंत्रालय के योग प्रमाणीकरण मंडल के "योग शिक्षक और मूल्यांकनकर्ता" स्तर–3 के प्रमाणन के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया है।

5. पात्रता की शर्तें

(i) भारत अथवा विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि (योग्यता परीक्षा) रखने वाला अभ्यार्थी स्नातक के लिए योग विज्ञान में डिप्लोमा के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है।

(ii) इस पाठ्यक्रम में **प्रवेश लेने हेतु कोई आयु सीमा नहीं है**। किंतु, एक अभ्यार्थी को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी, यदि इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना चाहिए।

6. सीटों की संख्या

भारतीय छात्रों के लिए सीटों की कुल संख्या 75 है। इनके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, उत्तर–पूर्वी राज्य और जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश, खिलाड़ी/ एनसीसी / एनएसएस, युद्ध शहीदों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (पीडब्ल्यूडी), विदेशी छात्रों तथा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर्मचारियों के बच्चों के लिए 22 विशेष श्रेणी की सीटें नीचे दिए गए विवरण के अनुसारः

कुल सीटों की संख्याः 75 (आर्थिक कमजोर वर्ग सहित)

सामान्य योग्यता	33
अन्य पिछड़ा वर्ग	18
अनुसूचित जाति	10
अनुसूचित जनजाति	06
आर्थिक कमजोर वर्ग	08
कुल	75

विशेष श्रेणी की सीटें: 22

विदेशी छात्र	09
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए	03
अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह	02
उत्तर–पूर्वी राज्य	02
खिलाड़ी /एनसीसी/एनएसएस	02
युद्ध शहीदों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित	02
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर्मचारियों के बच्चे	01
जम्मू–कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश	01
कुल	22

4 आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण

क) आवेदन पत्र भरना

1. चिकित्सा प्रपत्र परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है

2. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को जमा करने से पहले विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें।

ख) आवेदन पत्र जमा करना

1. अपेक्षित शुल्क सहित विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के रिसेप्शन काउंटर पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए अथवा इसे पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001 को **04 अगस्त, 2023 को शाम 4:30 बजे तक** भेजा जा सकता है।

2. अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, भले ही प्रपत्र कभी भी भेजा / पोस्ट किया गया हो। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय जल्द से जल्द अपने आवेदन जमा करें।

3. सभी आवश्यक दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

4. अपना नाम और पिन कोड सावधानीपूर्वक और स्पष्ट रूप से लिखकर पूरा पता लिखें। कृपया ध्यान दें कि इस पते का उपयोग संस्थान द्वारा भविष्य में सभी पत्राचार के लिए किया जाएगा। इसलिए इसे बहुत स्पष्ट रूप से काले बॉल प्वाइंट पेन से ही लिखा जाना चाहिए। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिए गए गलत पते अथवा परिवर्तन में किसी भी तरह की त्रुटि के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

5. प्रवेश नियम

एक वर्ष की अवधि के स्नातकों के लिए योग विज्ञान में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना का विज्ञापन प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के साथ दिया जाएगा:

(i) प्रवेश अधिसूचना में उल्लिखित निर्धारित शुल्क के भुगतान पर विवरणिका के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना चाहिए। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(ii) आवेदन केवल हाथ से अथवा डाक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले जमा किया जाना चाहिए। फैक्स/ईमेल के माध्यम से आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्थान किसी भी डाक देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(iii) उम्मीदवार संस्थान द्वारा आवेदन की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

(iv) पूरे भारत में चयन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगी। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश कार्यक्रम प्रमाणपत्रों और चिकित्सा स्वास्थ्य के सत्यापन के अधीन होगा।

प्रवेश परीक्षा

प्रश्न पत्रः 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार हैः

क्र.सं.	विषय	अंक
1	भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, सामयिकी (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय), कौन क्या है, महत्त्वपूर्ण दिवस, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के बारे में सामान्य जागरूकता।	25
2	सामान्य जीव विज्ञान – कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	25
3	बोधगम्यता – पठन बोध, शब्दावली निर्माण, शब्दभेद, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन इत्यादि भाषा बोधगम्य संबंधि प्रश्न।	25
4	योग– योग के बारे में सामान्य ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में ज्ञान, सामान्य योग अभ्यासक्रम में विषय वस्तु*	25

*संदर्भ–मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सामान्य योग अभ्यासक्रम बुकलेट–2019, संस्थान की वेबसाइट www.yoga.nic.in & www.ayush.gov.in पर उपलब्ध है।

(क) प्रवेश परीक्षा में सामान्य/आर्थिक कमजोर वर्ग/विशेष श्रेणियों के लिए 40% अथवा उससे अधिक अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 35% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) विदेशी देशों के उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इनका चयन उनकी संबंधित श्रेणी में स्नातक की योग्यता के अनुसार होगा।

(i) चयन सूची में सबसे नीचे समान प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवारों के संदर्भ में, उस उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, जिसके पास किसी योग/ भारतीय चिकित्सा पद्धति/ दर्शनशास्त्र/ भौतिक चिकित्सा/ शरीर क्रिया विज्ञान में उपाधि हो। / आहार और पोषण / मनोविज्ञान / संस्कृत / क्रमशः कोई नहीं होने की स्थिति में, स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत, चयन का अगला मानदंड होगा।

(ii) अभ्यर्थी को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस संबंध में संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से जारी एक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी पुरानी बीमारी/ मोटापे से पीड़ित उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश न लें और ऐसे उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(iii) प्रवेश प्रक्रिया की तिथियों का कैलेंडर विवरणिका के साथ दिया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदकों की सूची नोटिस बोर्ड और संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(iv) अपेक्षित प्रमाणपत्र में पाई गई किसी भी अस्पष्टता/मिटाव/अपेक्षित/काटने/गलत जानकारी/जानकारी को छुपाने का परिणाम, चयन के किसी भी स्तर पर और/अथवा अध्ययन के दौरान छात्र की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(v) योग विज्ञान में डिप्लोमा के लिए चयन भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में समय–समय पर जारी अखिल भारतीय योग्यता एवं आरक्षण नीति के अनुसार होगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% तथा वर्तमान में आर्थिक कमजोर वर्ग छात्रों के लिए 10% है।

(vi) किसी अस्पष्टता आदि के मामले में, प्रवेश से संबंधित सभी मामलों में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

'नोटः–प्रवेश परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण संस्थान की वेबसाइट पर अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

8. निर्देश का माध्यमः

हिंदी / अंग्रेजी

9. चयन प्रक्रिया

आगे की चयन प्रक्रिया चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के प्रस्तुति के अधीन है। चयन सूची संस्थान के सूचना–पट और संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

यदि कोई छात्र जिसका नाम किसी भी चयन सूची में आता है और अपेक्षित प्रवेश शुल्क जमा करने में असमर्थ है, तो उसकी उम्मीदवारी पर अगली सूची में विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, उनके मामलों को योग्यता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर माना जा सकता है यदि दूसरी अथवा तीसरी सूची के चयन के अनुसार प्रवेश पूरा होने के बाद भी कोई सीट खाली रह जाती है, बशर्ते कि अभ्यर्थी समय पर लिखित अनुरोध करें । इस संबंध में निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

10. चिकित्सा जाँच

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के अंतिम रूप से चुने जाने से पहले संस्थागत चिकित्सा जाँच होगी। चयन चिकित्सा जाँच के अधीन होगा, जो संस्थान में रु. 50/– की लागत से आयोजित किया जाएगा। परिशिष्ट–1 के अनुसार मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा स्वास्थ्य घोषणा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही छात्र को अन्य शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11. पोशाक स्वरुप

पोशाक लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सफेद टी–शर्ट तथा चयनित रंग (अथवा जैसा कि संस्थान द्वारा तय किया गया है) की पतलून होगी, जिसे छात्रों को स्वयं खरीदने की आवश्यकता है। प्रत्येक उम्मीदवार संस्थान की औपचारिक कक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों में केवल गर्मी और सर्दी के मौसम में संस्थान के प्रतीक चिह्न के साथ निर्धारित पोशाक में ही उपस्थित होंगे।

5 परामर्श / प्रवेश

1. सभी प्रवेश परामर्श के माध्यम से किए जाएंगे। यह प्रवेश संस्थान द्वारा नीचे उल्लखित प्रक्रिया के आधार पर किये जाएगे जो मुख्य रूप से योग्य तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की योग्यता सूची के आधार पर होगा।

2. परामर्श का स्थान

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, गोल डाक खाना के समीप, गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने, नई दिल्ली – 110001

3. परामर्श / प्रवेश सत्र की समय–सारणी:

क) प्रथम परामर्श सत्र 22 अगस्त, 2023 के लिए योग्यता सूची की घोषणा

ख) प्रथम परामर्श / प्रवेश 23 और 24 अगस्त, 2023

ग) द्वितीय परामर्श सत्र 25 अगस्त, 2023 के लिए योग्यता सूची की घोषणा

घ) द्वितीय परामर्श / प्रवेश 28 अगस्त, 2023

ङ) द्वितीय परामर्श के बाद भी सीटें खाली रहने पर समय–समय पर संस्थान के सूचना पट और वेबसाइट पर बाद की परामर्श / प्रवेश की तिथियों की घोषणा की जाएगी।

4. प्रथम परामर्श से प्रवेश की प्रक्रिया:

क) प्रथम परामर्श/प्रवेश का विस्तृत कार्यक्रम, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को परामर्श के लिए बुलाया जाएगा, संस्थान की वेबसाइट (www.yoga.nic.in) और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सूचना पट पर कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

ख) उम्मीदवारों को अध्याय 06 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ अधिसूचित स्थान, तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से परामर्श / प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर, उम्मीदवारों को उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उम्मीदवारों को सीटों का आवंटन तभी किया जाएगा जब वे व्यक्तिगत रूप से परामर्श सत्र में भाग लेंगे।

ग) सबसे पहले, उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में बुलाया जाएगा तथा सत्यापन के लिए आवश्यक मूल दस्तावेजों का उत्पादन करना होगा।

घ) प्रवेश अधिकारी उम्मीदवार द्वारा पूर्ण शुल्क जमा करने के बाद विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश पर्ची देंगे। प्रवेश पर्ची प्राप्त किए बिना किसी भी उम्मीदवार को परामर्श स्थल नहीं छोड़ना होगा।

ङ) एक उम्मीदवार जो अधिसूचित तिथि तथा समय पर परामर्श के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, वह उस सीट के लिए अपना दावा खो देगा जो उसे प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि, यदि उम्मीदवार देर से रिपोर्ट करता है अथवा परामर्श की प्रक्रिया के दौरान बाद के दिनों में रिपोर्ट करता है, तो उसे उस समय उपलब्ध सीट के आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है।

च) जिस उम्मीदवार को सीट आवंटित की जाती है, उसे परामर्श/प्रवेश के समय मौके पर ही अध्याय 07 में उल्लिखित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि सीट की प्रस्तुति के तुरंत बाद ऊपर उल्लेख किया गया है, तो प्रस्ताव को मौके पर ही वापस ले लिया जाएगा और सीट मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को आवंटित की जाएगी। आंशिक भुगतान अथवा चेक के माध्यम से भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छ) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परामर्श कक्ष छोड़ने से पहले प्रवेश अधिकारी द्वारा उन्हें जारी प्रवेश पर्ची पर शुल्क के विवरण, उनके नाम, श्रेणी / योग्यता, कार्यक्रम इत्यादि की जांच करें।

ज) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग आदि के लिए आरक्षित सीटों का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन केवल द्वितीय और बाद के परामर्श के दौरान किया जाएगा और प्रथम परामर्श के दौरान ऐसा कोई रूपांतरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, द्वितीय परामर्श के दौरान सीट को परिवर्तित करते समय, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किसी भी खाली सीटों को अनुसूचित जाति वर्ग और इसके विपरीत की प्रस्तुति की जाएगी और इस अभ्यास को पूरा करने के बाद ही आरक्षित श्रेणी की सीटों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा।

5. द्वितीय परामर्श के माध्यम से प्रवेशः

क) द्वितीय परामर्श का विस्तृत कार्यक्रम, निकासी (ओं) / किसी अन्य कारण (कारणों) के कारण बनाई गई रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर, इस अध्याय के बिंदु 3(ग) में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नवीनतम अद्यतन के लिए नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट देखें) साथ ही साथ संस्थान के सूचना पट पर भी। द्वितीय परामर्श उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

ख) एक उम्मीदवार जो परामर्श के लिए अधिसूचित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, वह उस सीट के लिए अपना दावा खो देगा जो उसे पेश की जा सकती है, जो उसे उसकी बारी पर प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, यदि उम्मीदवार परामर्श की प्रक्रिया के दौरान देर से रिपोर्ट करता है, तो उसे उस समय उपलब्ध सीट के आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते उसने पहले प्रवेश नहीं लिया हो।

नोटः एक उम्मीदवार, जिसने प्रथम परामर्श के दौरान प्रवेश लिया है और फिर वह अपना प्रवेश वापस ले लेता है, उसे द्वितीय परामर्श में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ग) यदि कोई उम्मीदवार द्वितीय परामर्श में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसका पूरा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों के हित में यह सलाह दी जाती है कि यदि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो केवल द्वितीय परामर्श में प्रवेश लेने का निर्णय लें।

घ) यदि किसी कारण से द्वितीय परामर्श के बाद कोई भी सीट खाली होती है, तो उसे प्रवेश समिति/निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भरा जाएगा।

च) द्वितीय परामर्श (यदि आवश्यक हो तो तीसरी अथवा अधिक परामर्श) के बाद प्रवेश बंद होने पर छात्रों की सूची को प्रवेश की अंतिम सूची माना जाएगा और इसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की वेबसाइट (www.yoga.nic.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा। और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

छ) शैक्षणिक सत्र 01 सितंबर, 2023 से आरंभ होगा। प्रवेश पाने वाले सभी उम्मीदवारों को 01 सितंबर, 2023 को सुबह 07:00 बजे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को प्रतिवेदन करना होगा।

6 प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज

प्रवेश के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल प्रमाणपत्र / प्रशंसापत्र / दस्तावेज लाने अनिवार्य है–

1. जन्म तिथि (दसवीं के प्रमाणपत्र से जन्म तिथि बताते हुए)।
2. योग्यता प्रमाण पत्र।
3. अर्हकारी परीक्षाओं के सभी अंकपत्र।
4. जाति प्रमाणपत्र, आरक्षित वर्ग से संबंधित।
5. आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र (यदि उम्मीदवार आर्थिक कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आवेदन कर रहा है)।
6. पूर्व अध्ययन किए गए संस्थान द्वारा अधिमानतः जारी किया गया एक चरित्र प्रमाण पत्र।
7. 4 नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।

प्रवेशित उम्मीदवारों को देय तिथि पर कक्षाओं में प्रस्तुत होना होगा, एक सप्ताह के भीतर कक्षाओं में प्रस्तुत होने में विफल रहने पर, प्रवेश स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी सीटों को संबंधित प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

चयनित अभ्यर्थी को इस आशय से वचन देना होगा कि वह संस्थान में हर समय उचित अनुशासन और मर्यादा बनाए रखेगा और पाठ्यक्रम के नियमों और विनियमों का पालन करेगा। सभी प्रवेश मूल दस्तावेजों के सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के अधीन अनंतिम हैं।

7 शुल्क संरचना

प्रस्तावित शुल्क संरचना

क्र.सं.	विवरण	सेमेस्टर–I			सेमेस्टर–II			टिप्पणी
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक कमजोर वर्ग	विदेशी (भारतीय रुपया में)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक कमजोर वर्ग	विदेशी (भारतीय रुपया में)	
1.	प्रवेश शुल्क	1,000	500	5,000	---	---	---	आवेदन जमा करते समय
2.	ट्युशन शुल्क	15,000	7,500	75,000	15,000	7,500	75,000	
3.	पुस्तकालय शुल्क	1,000	500	5,000	1,000	500	5,000	
4.	सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधि	500	250	2,500	500	250	2,550	
5.	चिकित्सा शुल्क	500	250	2,500	500	250	2,500	
6.	परीक्षा शुल्क	1,000	500	5,000	1,000	500	5,000	परीक्षा के समय
	कुल	19,000	9,500	95,000	18,000	9,000	90,000	
7.	अवधान राशि	*5,000	*5,000	*25,000	---	---	---	प्रवेश के समय

*अवधान राशि पाठ्यक्रम पूरा होने पर (शर्तें लागू) अथवा निदेशक के अनुमोदन से पाठ्यक्रम समाप्त होने पर बिना ब्याज के वापस की जा सकती है।

विलंब शुल्क:

i) शुल्क संस्थान द्वारा प्रत्येक सत्र के अधिसूचित निर्धारित तिथियों पर देय हैं। यदि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि को अवकाश अथवा रविवार है तो शुल्क का भुगतान अगले कार्य दिवस को किया जायेगा। देर से भुगतान पर रुपये 100/– पहले 10 दिनों के लिए और उसके बाद रुपये 10/– प्रति दिन का जुर्माना किया जायेगा। यदि शुल्क देय होने के एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे छात्रों का नाम सूची से हटा दिया जायेगा।

ii) एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं है। अध्ययन के समाप्त होने अथवा आधे वर्ष की बकाया राशि का अग्रिम भुगतान न करने के कारण अथवा किसी भी नियम और विनियमों के उल्लंघन के मामले में, अवधान राशि की वापसी का दावा जब्त कर लिया जाएगा और कोई प्रतिनिधित्व मनोरंजन नहीं किया जाएगा।

iii) सभी शुल्क नकद / डिमांड ड्राफ्ट / बैंक भुगतान आदेश मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के पक्ष में देय हैं।

पहचान पत्र:

संस्थान प्रत्येक छात्र को एक पहचान पत्र जारी करेगा, जिसे उन्हें संस्थान में हर समय साथ रखना होगा। यदि मूल खो जाता है, तो 200/– रुपये के भुगतान पर और क्षतिपूर्ति बांड और प्राथमिकी की एक प्रति जमा करने पर भी डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है।

8 सीटों का आरक्षण

1. आरक्षण

समय–समय पर जारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक कमजोर वर्ग के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा सीटें भरी जाएंगी।

2. विशेष श्रेणी की सीटें

प्रवेश क्षमता 75 (सामान्य वर्ग –33, अन्य पिछड़ा वर्ग –18, अनुसूचित जाति –10, अनुसूचित जनजाति –06, आर्थिक कमजोर वर्ग –08) है। इनके अतिरिक्त, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर–पूर्वी राज्यों, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश, खिलाड़ी/ एनसीसी/एनएसएस/युद्ध शहीदों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, विदेशी छात्रों और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए 22 विशेष श्रेणी की सीटें आरक्षित हैं।

विवरण	सीटों की संख्या
विदेशी छात्र	09
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए	03
अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह	02
उत्तर–पूर्वी राज्य	02
खिलाड़ी/एनसीसी/एनएसएस	02
युद्ध शहीदों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित	02
जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश	01
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर्मचारियों के बच्चे	01

3. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्देश

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय आरक्षित श्रेणी से संबंधित एक उम्मीदवार को इस आशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी कि वह आवेदन पत्र के साथ नीचे सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक कमजोर वर्ग से संबंधित है।

i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ उप–विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ii) जिला प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

iiii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

iv) उस क्षेत्र का उप–विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार रहता है।

v) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव/ विकास अधिकारी जम्मू–कश्मीर, लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

vi) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अनुपयुक्त तरीके से गलत अथवा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।

1. आरक्षित श्रेणियों/ वर्गों के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र परामर्श/ प्रवेश के समय आवश्यक होगा और स्थानीय सक्षम प्राधिकारी से जाति/ श्रेणी प्रमाणपत्र के अभाव में कोई अनंतिम प्रवेश स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, जाति/ श्रेणी प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से स्वयं उम्मीदवार के नाम पर होना चाहिए तथा संबंधित माता–पिता/ अभिभावकों के पक्ष में नहीं होना चाहिए।
2. आरक्षित श्रेणी के तहत किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाली विवाहित महिला को अपने नाम से जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पति/माता/पिता के नाम का प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है।

3.1 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (पीडब्ल्यूडी): दिव्यांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को दिव्यांग अधिनियम 2016 के अनुसार शारीरिक अक्षमता की सीमा का संकेत देने वाले अधिकृत चिकित्सा चिकित्सक/ अस्पतालों से एक प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है। उम्मीदवार को दिव्यांगता का प्रतिशत लाभ देने से पहले संस्थान के अधिकारी / मेडिकल बोर्डवरिष्ठ चिकित्सा द्वारा विधिवत सत्यापित / अनुशंसित किया जाएगा।

3.2 अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर–पूर्व राज्य: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और उत्तर–पूर्व राज्यों के छात्रों की उम्मीदवारी की सिफारिश संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के आयुष/ स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। केवल योग्यता के आधार पर अध्येतावृत्ति के लिए ऐसे उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। अन्य को अन्य उम्मीदवार की तरह विचार किया जाएगा।

3.3 खेल/एनसीसी/एनएसएस:

i) खेल श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को राज्य / भारतीय खेल प्राधिकरण / एआईयू द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त राज्य / क्षेत्रीय / विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर और / अथवा स्वयं के पदक पर प्रतिनिधित्व करना होगा।

ii) एन.सी.सी. कैडेटों को एन.सी.सी. प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र "ग" प्रस्तुत करना होगा।

iii) एन.एस.एस. स्वयंसेवक, जिन्होंने एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष पूर्ण किए हो तथा दो 10 दिवसीय विशेष शिविरों/अथवा एक राष्ट्रीय एकता शिविर अथवा गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया हो।

पैरा 3.3 के अधीन प्रवेश करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यकता है।

3.4 युद्ध शहीदों के आश्रित: अर्ध–सैन्य (सीएपीएफ) कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के अधिकारियों और पुरुषों/ महिलाओं / विधवाओं के बच्चों को वरीयता के निम्नलिखित क्रम में प्रवेश दिया जा सकता है:

i) अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कार्मिक।

ii) कार्रवाई/ आतंकवादी हमले में वीरगति को प्राप्त हुई विधवाएं/ वार्ड ऑफ डिफेंस/ सीएपीएफ कार्मिक ।

iii) शांतिकाल में सैन्य सेवा के कारण वीरगति को प्राप्त हुई विधवाएं/वार्ड ऑफ डिफेंस/सीएपीएफ कार्मिक ।

पैरा 3.4 के अधीन प्रवेश करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यकता है।

3.5 जम्मू और कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार: इस श्रेणी के अधीन प्रवेश करने हेतु उम्मीदवारों को जम्मू और कश्मीर/ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से होने के अपने दावे के समर्थन में एक राज्य–अधिवास प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

3.6 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर्मचारी के बच्चे: स्टाफ कोटा के अधीन प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को नियमित आधार पर अपने रोजगार के बारे में निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

9 अध्येतावृत्ति

अध्येतावृत्ति

निम्नलिखित छात्रों को प्रति माह 8,000/– रुपये (आठ हजार रुपये) की अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगीः (अधिकतम 10 महीने के लिए)

क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप – 2 छात्र

ख) उत्तर–पूर्व राज्य – 2 छात्र

i) तथापि, संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य/ आयुष विभाग द्वारा उपरोक्त छात्रों की उम्मीदवारी की सिफारिश और अग्रेषण किया जाएगा।

ii) ऐसे चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति का पुरस्कार भी उनकी नियमितता, अपेक्षित उपस्थिति (न्यूनतम 80%) और अनुशासन के अधीन है। उन्हें इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक बांड पेपर निष्पादित करना होगा।

संस्थान में विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, कुछ छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाती है। छात्रों को इन छात्रवृत्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी के लिए आईसीसीआर अथवा निकटतम भारतीय मिशन से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। छात्र यूनेस्को हैंडबुक विदेश में अध्ययन से भी परामर्श कर सकते हैं, जिसमें कुछ छात्रवृत्तियों और उन पतों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर आवेदन किया जाना चाहिए।

10 विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य दिशानिर्देशः

i) अंतरराष्ट्रीय छात्र को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए इस संस्थान को पृष्ठांकित छात्र वीज़ा की आवश्यकता होगी। कोई अन्य समर्थन स्वीकार्य नहीं है।

ii) केवल वे छात्र जो विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा बोर्ड से योग्य हैं, प्रवेश के लिए पात्र हैं। इसलिए, अभ्यर्थी को एआईयू से समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

iii) पाठ्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक छात्र संस्थान की वेबसाइट से आवेदन पत्र और विवरणिका डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में अनंतिम प्रवेश के लिए सभी प्रकार विधिवत भरा हुआ आवेदन संस्थान में जमा करना होगा। संस्थान पात्रता की जांच करेगा, यदि पात्र योग्य पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को अनंतिम चयन के लिए माना जा सकता है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, छात्र को संस्थान में आवश्यक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। हालांकि, भारत सरकार के नियमानुसार, भारत में छात्र वीजा पर प्रवेश करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को एचआईवी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्य चिकित्सा परीक्षण के लिए परीक्षण करना होगा तथा सकारात्मक पाए जाने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विदेशी छात्रों को अपने खर्चे पर किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल/ केंद्र से एचआईवी जांच करानी होगी। मेडिकल परीक्षा और एचआईवी (नकारात्मक) में "चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ" घोषित होने पर, छात्र अपेक्षित प्रवेश शुल्क जमा करेगा और अनंतिम प्रवेश के लिए नामांकित हो सकता है।

iv) अनंतिम प्रवेश पर, संस्थान एक अनंतिम प्रवेश पत्र जारी करेगा। छात्र वीजा प्राप्त करने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है। इसके उपरांत, छात्र को छात्र वीजा की मूल प्रति के प्रस्तुतीकरण पर पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए संस्थान में अंतिम प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा।

v) पाठ्यक्रम के दौरान विदेशी छात्रों के लिए नियम, विनियम, अनुशासन आदि वही रहेंगे जो भारतीय छात्रों के लिए उल्लिखित हैं।

vi) किसी कारण से, यदि विदेशी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो सीटें खाली रहेंगी। तथापि, इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

11 परीक्षा नियम

i) अगस्त से जनवरी और फरवरी से जुलाई तक दो सेमेस्टर होंगे। अंतिम परीक्षा आमतौर पर प्रत्येक सेमेस्टर के अंतिम महीनों में आयोजित की जाएगी। परिणाम दोनों सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर तदनुसार घोषित किए जाएंगे।

ii) पहले सेमेस्टर में किसी भी विषय में असफल होने वाले छात्र को दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उसका अंतिम परिणाम दोनों सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के बाद ही घोषित किया जाएगा।

iii) एक अथवा एक से अधिक लिखित/ प्रायोगिक परीक्षा /परीक्षा में असफल होने वाले छात्र को उन परीक्षा /पेपर में फिर से बैठने की अनुमति दी जाती है, जिसमें वह असफल हो गया है। उसे उन परीक्षा के लिए फिर से परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है जिनमें वह पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है।

iv) अंतिम परिणाम घोषित होने के तीन महीने के भीतर प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम तीन मौके (मुख्य और पूरक दोनों सहित) दिए जाएंगे। पूरक परीक्षा के लिए रु.250/– प्रति विषय शुल्क लिया जाएगा।

v) प्रायोगिक परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है। लिखित उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं, दिए गए अंकों को सही तरीके से जोड़ा गया है अथवा नहीं, तथा कुल अंकों को अंकों के विवरण में सही ढंग से जोड़ा गया है अथवा नहीं।

vi) उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना के लिए प्रभार्य शुल्क रु. 250/– प्रति विषय है तथा कार्य दिवसों पर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए।

vii) अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र के साथ जारी किए गए अपने वर्तमान प्रवेश पत्र और अंकपत्र की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करना आवश्यकता है तथा साथ ही 9" x 4" आकार का स्वयं का पता लिखा लिफाफा जिस पर रु. 10/– का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना आवश्यकता है ।

viii) प्रत्येक सेमेस्टर में दो यूनिट टेस्ट/ असाइनमेंट होंगे। इन इकाई परीक्षणों / असाइनमेंट में प्राप्त अंकों को पाठ्यक्रम में निर्धारित आंतरिक मूल्यांकन अंकों के लिए माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा आधार पर पूर्व सूचना के साथ यूनिट टेस्ट में उपस्थित नहीं हो सका, तो उसे नियमित यूनिट टेस्ट समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर पूरक यूनिट टेस्ट में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

ix) छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर (लिखित और प्रायोगिक दोनों अलग–अलग) के दौरान आयोजित कुल कक्षाओं में से 80% में भाग लेने की आवश्यकता होती है। जिन छात्रों की उपस्थिति 80% से कम है, वे परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, अधिकतम 5% उपस्थिति चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर अथवा सक्षम प्राधिकारी/निदेशक के विवेक पर वैध कारण के आधार पर माफ कर दी जाएगी।

x) पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में, द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद एक माह की अवधि के योग प्रशिक्षण शिविर/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र कार्य होगा।

छात्र एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। योग शिविरों के समापन के संबंध में योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम परिणाम छात्रों द्वारा प्रस्तुत क्षेत्र कार्य रिपोर्ट के सफल समापन और मूल्यांकन के बाद ही घोषित किया जाएगा।

xi) परीक्षा के दौरान यदि किसी भी छात्र को अनुचित अथवा अनैतिक व्यवहार में लिप्त पाया गया; उसे पाठ्यक्रम से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

xii) अंतिम परीक्षा परिणाम संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

xiii) परीक्षा से संबंधित सभी मामलों में परीक्षकों के बोर्ड / निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

परिणाम

उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक

प्रत्येक लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा में 40% अंक

कक्षा का पुरस्कारः

कक्षा उत्तीर्ण

कुल मिलाकर 40% और उससे अधिक और 50% से कम

द्वितीय श्रेणी

कुल मिलाकर 50% और उससे अधिक और 60% से कम

प्रथम श्रेणी

कुल मिलाकर 60% और उससे अधिक और 80% से कम

विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी

कुल मिलाकर 80% और उससे अधिक

नोटः यदि कोई अभ्यर्थी केवल एक लिखित/ प्रायोगिक परीक्षा में असफल हुआ है, तो उसे लिखित/ प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों के अधिकतम 10% के ग्रेस अंक दिए जाएंगे।

डिप्लोमा का पुरस्कार

पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, स्नातकों के लिए "योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम" का एक प्रमाणपत्र उन अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा जो लिखित तथा प्रायोगिक दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं में सफल होंगे।

सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार

योग विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सेमेस्टर I और II) परीक्षाओं में उनकी योग्यता / रैंक के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 3 छात्रों को पुरस्कार 25,000/ – (प्रथम पुरस्कार), 15,000/ – रुपये (द्वितीय पुरस्कार) तथा रु. 10,000/– (तीसरा पुरस्कार) के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

12 नियम और विनियम

i) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने से अभ्यर्थी को चयनित होने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा और परामर्श सत्र में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ii) किसी भी रूप में प्रचार करने से अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा।

iii) प्रवेश तक कोई अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान) की रोजगार प्रदान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

v) परिसर में अनियमित उपस्थिति, आदतन आलस्य, अवज्ञा अथवा अशोभनीय आचरण एक छात्र को पाठ्यक्रम जारी नहीं रखने के लिए उत्तरदायी बना देगा और पूर्व सूचना के बाद उसका नाम रोल से हटा दिया जाएगा।

vi) कक्षा (लिखित तथा प्रायोगिक दोनों) के दौरान छात्रों द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग सख्त वर्जित है। पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

vii) संस्थान की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई छात्र के संबंधित करेंगे।

viii) छात्र द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकों, उपकरणों, साधन और यंत्रों के नुकसान अथवा क्षति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं तथा उनके द्वारा जमा की गई अवधान राशि से आवश्यक कटौती की जाएगी।

ix) छात्र को स्वयं इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि वह किसी अन्य छात्र, शिक्षक आदि की शांति और धीरज को भंग न करें।

x) निर्धारित कार्यक्रम की किसी भी गतिविधि से अनुपस्थिति को अनुशासन का घोर उल्लंघन माना जाएगा।

xi) कक्षाओं से छुट्टी अथवा अनुपस्थिति की अनुमति पाठ्यक्रम शिक्षक/ समन्वयक/ निदेशक से लिखित रूप में अग्रिम रूप से ली जानी चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार बीमारी के समय पर एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

xii) छात्रों द्वारा कोई यूनियन/ एसोसिएशन नहीं बनाया जाएगा।

xiii) छात्रों को कक्षा के घंटों के दौरान स्टाफ संकायों/ सदस्यों के पास नहीं जाना चाहिए।

xiv) छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे यहां केवल योग के प्राचीन अनुशासन का अध्ययन करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, अपितु, स्वयं के लिए भी उसी अनुशासन और जीवन शैली का अनुपालन करें।

xv) पाठ्यक्रम के अनुशासन और सुचारू संचालन से संबंधित सभी मामलों में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

xvi) संस्थान में निम्नलिखित सख्त वर्जित/ प्रतिबंधित हैं।

क) मादक पेय/पेय पदार्थों का सेवन अथवा उपयोग।

ख) नशे की लत अथवा हेलुसीनोजेनिक दवाओं का सेवन अथवा उपयोग।

ग) साइकोट्रोपिक दवाएं।

घ) धूम्रपान और चबाने वाला तंबाकू / गुटका पाउच / च्युइंग गम आदि।

ङ) जुआ/ ताश खेलना अथवा पैसे अथवा अन्य क़ीमती सामान अथवा अन्य वस्तुओं से जुड़े खेल।

च) कक्षा के घंटों के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग अथवा आग्नेयास्त्रों अथवा किसी घातक हथियार को अपने पास रखना।

छ) किसी भी रूप में रैगिंग/ छेड़छाड़/ उत्पीड़न निषिद्ध और दंडनीय है।

xvii) छात्रों को रोजाना प्रातः योग प्रायोगिक कक्षाओं में भाग लेना चाहिए; उन्हें खाली पेट आना चाहिए तथा अपना नाश्ता प्रायोगिक कक्षा के बाद लेने के लिए साथ ले जाना चाहिए (मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के भोजनालय में भी उपलब्ध है)।

xviii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सभी राजपत्रित अवकाश मनाएगा।

xix) प्रत्येक सेमेस्टर में 15 दिनों की छुट्टी होगी और समय–समय पर संस्थान द्वारा तिथियों की घोषणा की जाएगी।

xxi) दूसरे सेमेस्टर के दौरान छात्रों की मांग के अनुसार देश के प्रमुख योग संस्थानों/ केंद्रों के दौरे की व्यवस्था की जा सकती है। भ्रमण का खर्च छात्रों को वहन करना होगा।

xxii) छात्रों को समय–समय पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है।

xxiii) यदि मूल अंकपत्र/ प्रमाण पत्र खो जाता है, तो 250/– रुपये के भुगतान के विरुद्ध तथा लापता अंकपत्र/प्रमाणपत्र की प्राथमिकी जमा करने पर भी डुप्लीकेट कॉपी जारी की जा सकती है।

xxiv) किसी भी विवाद के मामले में, मामले को केवल दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में निपटाया जाएगा।

xxv) सभी क़ीमती सामान छात्रों द्वारा उचित रूप से सुरक्षित किए जाएंगे। संस्थान किसी कीमती सामान/ नकदी के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xxvi) संस्थान में और उसके आस–पास किसी भी अज्ञात वस्तु को छुआ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को रिपोर्ट करें।

xxvi) गर्भावस्था के दौरान पाठ्यक्रम जारी रखने की सलाह नहीं दी जाती है। पाठ्यक्रम अवधि के दौरान गर्भवती हुई किसी महिला छात्रा को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाठ्यक्रम में उल्लिखित योग अभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं हैं। तथापि, उसे अगले 2 वर्षों के भीतर सेमेस्टर दोहराने की अनुमति दी जा सकती है यदि उपलब्ध हो तथा उनके द्वारा वांछित हो।

xxvii) यदि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी छात्र को कोई चोट/ संक्रमण होता है, तो उसे योग प्रायोगिक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह उचित नहीं है। हालांकि, चोट/ संक्रमण आदि के कारण उपस्थिति में कमी के मामले में, उसे अगले 1 वर्ष के भीतर सेमेस्टर दोहराने की अनुमति दी जा सकती है, यदि उपलब्ध हो तथा उनके द्वारा वांछित हो।

xxviii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान बिना किसी पूर्व सूचना के, जब भी आवश्यक हो, किसी भी नियम और विनियम को परिवर्तन करने, हटाने, बदलने और जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अवधान राशि की वापसी

केवल प्रवेश के समय जारी की गई मूल रसीद, मूल पहचान–पत्र और पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष की समय सीमा के भीतर कोई बकाया नहीं प्रस्तुत करने पर सुरक्षा राशि की वापसी की जाएगी।

निष्कर्षः पाठ्यक्रम के बाद जीवन शैली को अपनाना

संस्थान की स्थापना उन लोगों के लिए की गई है, जो नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर मानवता की निःस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। इसलिए, राजनीतिक अथवा आर्थिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को यहां प्रवेश लेने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, जो लोग महसूस करते हैं कि उनके पास मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास करने की इच्छा है, उन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

13 प्रपत्र भरने के दिशानिर्देश

1. अपूर्ण अंकपत्र वाला कोई भी प्रपत्र, अर्थात् वह अंकपत्र जिसमें नाम, कुल अंक, प्राप्त अंक अथवा ऐसा कोई विवरण अनुपस्थित है अथवा स्पष्ट नहीं है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. यदि सीजीपीए/एफजीपीए अंकपत्र में दिया गया है, तो उम्मीदवार को इसे प्रतिशत में परिवर्तित करवाना होगा और उसके साथ वैध प्रमाण संलग्न करना होगा।
3. यदि श्रेणी प्रमाण पत्र अनुपस्थित/ समाप्त/ अमान्य है, तो प्रपत्र को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जा सकता है।
4. यदि उत्तर–पूर्व राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के प्रपत्र में अग्रेषण पत्र नहीं है (जैसा कि डिप्लोमा विवरणिका में निर्दिष्ट है), प्रपत्र को सामान्य श्रेणी के अधीन माना जा सकता है।
5. उम्मीदवार का प्रतिशत अंकपत्र में दिए गए प्रतिशत के पूर्णांकन के आधार पर नहीं, बल्कि तीन दशमलव बिंदुओं तक प्रतिशत की गणना करके और तीसरे दशमलव बिंदु को पूर्णांकित करके माना जा सकता है।
6. ऑनर्स उपाधि की स्थिति में, प्रतिशत की गणना सभी विषयों के अंकों को ध्यान में रखकर की जा सकती है, न कि केवल ऑनर्स विषय के अंकों के आधार पर।

अनुलग्नक–1

चिकित्सकीय प्रमाणपत्र
MEDICAL CERTIFICATE

श्री / कुमारी / श्रीमती*.....

श्री / श्रीमती के पुत्र / पुत्री / पत्नी* .....

जिनके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं। जांच के आधार पर, मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम है तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है, जो एक योग वृत्ति के लिए आवश्यक विभिन्न योगाभ्यासों के प्रदर्शन सहित उसके अध्ययन में बाधा डाल सकता है।

I certify that I have carefully examined Shri / Km/ Smt-*.....
son/ daughter/ wife of Shri/ Smt.* .....
whose signature is given below. Based on the examination, I certify that he/she is in good mental and physical health and is free from any physical defects which may interfere with his/her studies including the performance of different Yogic practices required of a professional.

पहचान चिह्न (Visible Mark of Identification) .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Signature of the Candidate) .....

स्थान (Place):

दिनांक (Date):

** चिकित्सा अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर (Name & Signature of the Medical Officer)

मुहर सहित (with Seal)

.....

*जो लागू न हो उसे काट दें। Strike whichever is not applicable-

**चिकित्सा उपाधि रखने वाले एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर।

To be signed by a Registered Medical Practitioner holding a Medical degree.